ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर – 201310 FTS-36353

पंत्राक : सम्पत्ति /अ.मु.का.अ./2020/400
दिनांक 20/07/2020

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या 117/16 में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आवंटित आवासीय भूखण्ड व बिल्टअप भवनों की योजना के लिए ओ0टी0एस0 योजना (One Time Settlement Policy) को "उ0 प्र0 शासन राजस्व अनुभाग - 11 के शासनादेश संख्या – 195/एक-11-2020-रा0-11 दिनांक 24 मार्च , 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रवन्धन अधिनियम - 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा - 2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड - 19 के कारण फैल रही महामारी को **"आपदा"** घोषित किया गया है" को दृष्टिगत करते हुए ओ0टी0एस0 योजना (One Time Settlement Policy) निम्न शर्तो को साथ दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ायी जाती है :-

(1) **एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जाने की प्रकियाः–**

1.1 ओ0टी0एस0 योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 तक की आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं में केवल उन प्रकरणों पर लागू होगी जोकि वर्तमान में डिफाल्टर है। भविष्य की देयता पर यह योजना लागू नहीं होगी।

1.2 ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत , जिन आवंटियों द्वारा एक वार लाभ प्राप्त किया जा चुका है। उन प्रकरणों में यह योजना लागू नही होगी।

1.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 तक आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं के आवंटियों को प्राधिकरण के सम्बन्धित विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से ओ0टी0एस0 योजना के समस्त विकल्पों के साथ उनकी देयता की सूचना दी जाये।

1.4 उक्त प्रकार के समस्त आवंटियों की सूची जिसमें देयता का पृथक–पृथक उल्लेख हो। प्राधिकरण की वेवसाईट पर प्रदर्शित की जाये ।

1.5 ओ0टी0एस0 योजना, प्राधिकरण द्वारा आवंटन पद्धति से आवंटित आवासीय भूखण्ड/ निर्मित भवनों के आवंटियों पर लागू होगी, अन्य किसी प्रकार की योजना पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।

1.6 ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2020 तक आवेदन करने पर 150 वर्गमीटर से कम आकार वाले भूखण्ड एवं भवनों के आंवटियों हेतु प्रोसेसिंग फीस रू 2000.00 तथा 150 वर्गमीटर से अधिक आकार वाले भूखण्डों एवं भवनों के आवंटियों हेतु रू 5000.00 प्रोसेसिंग फीस जमा करानी होगी, जिसका समायोजन किसी भी देयता में ने किया जाये।

1.7 ओ0टी0एस0 योजना हेतु आवंटी को वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष समस्त प्रकार की अति देयता (Defaulted Amount + 64.7% Additional Compensation + Late Lease Deed Penalty) के कुल योग का 40 प्रतिशत (जो कि जमा होने वाली धनराशि आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित की जायेगी) को जमा करना होगा।

1.8 ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवेदक को आवेदन के साथ पत्राचार का पूर्ण पता अंकित करना होगा।

1.9 एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवंटी द्वारा आवेदन करने की तिथि वह मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदनकर्ता द्वारा ओ0टी0एस0 आवेदन के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि जमा कर दी गयी है। आवेदन पंजीकृत डाक व प्राधिकरण के डिस्पैच काउन्टर पर स्वीकार किये जायेगें तथा सम्बन्धित विभाग प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पृथक से रजिस्ट्रर बनाकर प्राप्त आवेदनों का विवरण उस रजिस्ट्रर में दर्ज करेगा।

1.10ओ0टी0एस0 योजना हेतु निर्धारित तिथि 30.09.2020 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाये।

(2) एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) मे आवंटियों को दी जाने वाली छूटः–

(क) - प्रीमियम डिफाल्टर के सापेक्ष छूट

क.1 ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज , जो सम्पत्ति के आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा लिया जायेगा। यदि किसी आवंटी द्वारा ओ0टी0एस0 योजना लागू होने से पूर्व समस्त भुगतान किया जा चुका है तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नही होगी।

क.2 आवंटियों से प्रीमियम के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नही लिया जायेगा। डिफाल्टर अवधि का ब्याज **विन्दु संख्या "क -1"** के अनुसार लिया जायेगा।

(ख) – 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष छूट

ख.1 ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से 9.5% साधारण ब्याज दर से ब्याज लिया जायेगा। यदि किसी आवंटी द्वारा ओ0टी0एस0 योजना लागू होने से पूर्व समस्त भुगतान किया जा चुका है तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नही होगी।

ख.2 आवंटियों से 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नही लिया जायेगा। डिफाल्टर अवधि का ब्याज **विन्दु संख्या "ख - 1"** के अनुसार लिया जायेगा।

(ग) – अपंजीकृत लीजडीड में आरोपित लीजडीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष छूट

ग.1 ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत केवल वे आवंटी जिनके द्वारा भूखण्ड व भवन की लीजडीड निष्पादित नही करायी गयी है। उन प्रकरणों में नियमानुसार निम्नवत छुट अनुमन्य होगी :-

दिनांक 30.09.2020 तक आवदेन करने पर	कुल लीजडीड विलम्ब शुल्क का 60% धनराशि जमा करनी होगी अर्थात विलम्ब शुल्क में 40% की छूट अनुमन्य होगी।

(3) सम्पत्ति विभाग द्वारा ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण विषयकः–

3.1 ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में प्रीमियम डिफाल्ट + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क यथा आवश्यकता तीनो अथवा दो अथवा एक पर भी गणना की जाये।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

3.2 ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवंटी को कार्यपूर्ति आवेदन करने की तिथि तक निर्धारित नियमों के आधार पर आगणित विलम्ब शुल्क देय धनराशि को एक मुश्त जमा करना होगा। इस विपयक यह भी अनिवार्य होगा कि आवंटी द्वारा भवन के कार्यपूर्ति हेतु आवेदन में यदि कामिंया पाई जाती है तथा वह जिस तिथि तक कमिंयों को पूर्ण करता है प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण विलम्ब शुल्क उसी तिथि तक देय होगा। उस भुगतान को आवंटी से जमा कराया जाये।

3.3 आवंटी को दिये जाने वाले समयावधि की गणना उपरान्त वॉछित धनराशि को पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवंटी को जमा करना होगा।

3.4 ओ0टी0एस0 योजना में जमा की गयी अधिक धनराशि (Surplus) को वापस नही किया जाये तथा न ही अधिक धनराशि (Surplus) को किसी अन्य मद में समायोजित किया जाये।

3.5 ओ0टी0एस0 योजना का लाभ केवल वे आवंटी ही प्राप्त कर सकते है , जिनके द्वारा किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर नही किया गया हो। यदि वे आवंटी भी इस योजना का लाभ लिये जाने के इच्छुक है तो उनको नियमतः सर्वप्रथम वाद वापस लिये जाने हेतु मा0 न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करना होगा। लम्बित वाद / याचिका को वापस लिये जाने के वाद उसकी सत्यापित प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करानी होगी जिसके पश्चात ही ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

नोट :-ओ0टी0एस0 योजना समाप्ति अवधि के पश्चात ब्रोशर में उल्लिखित नियम एवं शर्तो के अनुसार ऐसे समस्त आवंटियों की नियामनुसार सूची बनाकर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

उपरोक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के अनुपालन में जारी किया जा रहा है , जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी)।
3. विशेषकार्याधिकारी (एस0 के) / महाप्रबन्धक (वित्त / परियोजना) ।
4. प्रभारी (सिस्टम) को प्राधिकरण वेवसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेपित।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

17/7/2022

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी